दिल्लो विधान सभा सिववालय समाचार भाग-2

१ विधायो तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारो१ बृहस्पतिवार 7 फरवरी,2002/ माघ ।3, 1923 १ शक्र

संख्या: 186

सदस्यों की नज़्र बन्दी एवं रिहाई

माननोय अध्यक्ष, दिल्लो विधान सभा को संबोधित उपायुक्त पुलिस, मध्य जिला, दिल्लो का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्लो विधान सभा के माननोय सदस्यों डा॰ जगदोश मुखी, श्रो नरेश गोंड, श्रो हर्ष वर्धन,

श्री साहब सिंह वौहान व श्री राम भज को दिना क 7.2.2002 को अपराहन 12.40 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 को धारा 65 के अंतर्गत गांधी ममोरियल हाल के सामने से नज़्र बन्द किया गया।

तथा उन्हें उसी दिन अर्थात दिनांक 7.2.2002 को अपराइन

एस• के• शर्मा सिव्व

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN FART-II

(General information relationg to Legislative &other matters)
Thursday 7th February 2002Magha 18, 1923(saka)

No. 186

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from D.C.P Central Distt:-

"I have the honour to inform you that S/Shri Jagdish Mukhi, Naresh Gaur, Harsh vardhan, Sahib Singh Chauhan and Rambhaj Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi were detained In front of Gandhi Memorgial Hall, U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobying the lawful direction of Tolice at 12.40 P.M. on 7.2.2002.

They were released at 12.50 I.M. on the same day i.e. 7.2.2002 from the same place."